

अध्याय 5

वित्तीय लेखापरीक्षा

33. सरकार के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा

भारत के संविधान और अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह कर्तव्य है कि वह संघ सरकार और प्रत्येक राज्य और विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करें और उन पर रिपोर्ट करें। ये प्रतिवेदन उपयुक्त विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल अथवा विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, जैसा भी मामला हो, को प्रस्तुत किये जाते हैं।

34. वित्त और विनियोग लेखाओं का प्रमाणीकरण

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ और प्रत्येक राज्य और विधानसभा वाले प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के वित्त लेखाओं और विनियोग लेखाओं की, उनके संकलन के लिए उत्तरदायी एजेंसी का ध्यान किए बिना, जांच और प्रमाणीकरण करते हैं।

35. सरकार के वित्त लेखे

सरकार के वित्त लेखाओं में वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियां और संवितरण दर्शाए जाते हैं जो राजस्व और पूँजीगत लेखाओं, लोक ऋण से सम्बन्धित लेखाओं और यथानिर्धारित परिसम्पत्तियों और अन्य देयताओं द्वारा प्रकटित वित्तीय परिणामों के साथ दर्शाए जाते हैं।

36. सरकार के विनियोग लेखे

सरकार के विनियोग लेखाओं में विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत राशियों की तुलना में सरकार का व्यय उन महत्वपूर्ण अन्तरों के स्पष्टीकरणों के साथ दर्शाया जाता है, जो दोनों के बीच अन्तरों के लिए निर्धारित सीमाओं से अधिक बचत अथवा आधिक्य दर्शाते हैं।

37. वित्तीय लेखापरीक्षा में जांचें

वित्तीय लेखापरीक्षा का प्राथमिक प्रयोजन यह सत्यापित करने का है कि क्या सरकार के लेखे उपयुक्त ढंग से तैयार किए गए हैं, सभी प्रकार से पूर्ण हैं और पर्याप्त प्रकटनों के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रकार वित्तीय लेखापरीक्षा में निम्नलिखित का सत्यापन किया जाता है:

- (1) अनुपालन, लेखा पुस्तकों और वित्तीय विवरणों का लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा लेखाकरण सिद्धांतों, नीतियों और स्वीकार्य मानकों के साथ, जिसमें नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित लेखाओं के प्रारूप के साथ अनुरूपता शामिल है;
- (2) पूर्णता, लेखा पुस्तकों और वित्तीय विवरणों की, इसमें उन राशियों की आलोचनात्मक समीक्षा भी शामिल है जिनका उनके अंतिम वर्गीकरण में समायोजन न किया गया हौ;

- (3) परिशुद्धता, लेखा पुस्तकों और वित्तीय विवरणों की, जिसमें सम्बन्धित विवरणों के बीच संगतता शामिल है;
- (4) सामयिकता, लेखा पुस्तकों और वित्तीय विवरणों की;
- (5) प्रकटनों की पर्याप्तता, इसमें किसी प्रविष्टि अथवा राशि, जो प्रथम दृष्टया असामान्य हो, के लिए उपयुक्त और आवश्यक स्पष्टीकरण शामिल हैं; और
- (6) विनियोग लेखाओं के मामले में उपरोक्त के अतिरिक्त (क) अनुदान की परिधि और आशय के अनुसार सेवा अथवा प्रयोजन के लिए वास्तविक व्यय की राशि की वैध उपलब्धता और; (ख) उनकी वैधता, दक्षता और औचित्य के लिए पुनर्विनियोजन के आदेशों और निधियों के अभ्यर्पण; और (ग) वास्तविक व्यय की राशियों और विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत राशियों के बीच उन महत्वपूर्ण अन्तरों के लिए स्पष्टीकरण, जो ऐसे अन्तरों की निर्धारित सीमाओं से अधिक हो, उनकी यथातथ्यता के लिए।

38. पुनर्विनियोजन और निधियों के अभ्यर्पण के आदेशों की प्रतियां भेजने की अपेक्षा

सरकारी विभाग पुनर्विनियोजन और निधियों के अभ्यर्पण के सभी आदेशों की प्रतियां, आदेशों के जारी होने के तुरन्त बाद लेखापरीक्षा कार्यालय और लेखा कार्यालय को भेजेंगे। एक वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए सभी ऐसे आदेशों का एक समेकित विवरण भी लेखापरीक्षा कार्यालय और लेखा कार्यालय को भेजा जाएगा ताकि यह वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद एक माह के अन्दर पहुंच सके। यदि कोई ऐसा आदेश जारी न किया गया हो तो निरंक विवरण भेजा जाएगा।

39. पुनर्विनियोजन और निधियों के अभ्यर्पण के आदेशों में कारणों का स्पष्टतया उल्लेख करना

पुनर्विनियोजन के आदेशों में विनियोजन की भिन्न इकाइयों के बीच निधियों के अन्तरण के कारणों का विस्तृत रूप से और स्पष्टतया उल्लेख किया जाएगा। इसी प्रकार निधियों के अभ्यर्पण के कारणों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

40. आधिक्य और कमियों के कारणों को बताना

सरकारी विभागों द्वारा लेखापरीक्षा कार्यालय और लेखा कार्यालय को ऐसे समय जैसाकि निर्दिष्ट किया जाए, के अन्दर वे कारण प्रस्तुत किए जाएंगे जो विनियोजन की किसी इकाई के अन्तर्गत प्रावधान की गई राशि की तुलना में प्रयोजनार्थ निर्धारित सीमाओं से अधिक व्यय में किसी आधिक्य अथवा कमी के लिए हों।

41. लेखापरीक्षा अधिकारी को विशेष दस्तावेज़ और सूचना प्रदान करना

इन विनियमों में इस सम्बन्ध में अन्य प्रावधानों की सामान्यता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना लेखाओं के संकलन और वित्तीय विवरणों के लिए उत्तरदायी एजेंसी लेखापरीक्षा अधिकारी को अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित की आपूर्ति करेगी:

- (1) लेखाओं के वर्ष के व्यय की राशियों और प्राप्तियों की राशियों और पूर्ववर्ती वर्ष के लिए तदनुसूली राशियों के बीच किन्हीं महत्त्वपूर्ण अन्तरों के कारण;
- (2) आवधिक लेखा समायोजनों का विवरण, ऐसे समायोजनों को प्राधिकृत करने वाले सामान्य अथवा विशेष आदेशों की प्रतियों के साथ;
- (3) लेखा पुस्तकों के अनुसार रोकड़ शेष और भारतीय रिज़र्व बैंक के खातों के अनुसार शेष में अन्तरों, यदि कोई हों, के लिए स्पष्टीकरण;
- (4) किन्हीं ऐसे मदों के लिए स्पष्टीकरण जो प्रथमदृष्टया असामान्य है जिसमें प्रतिकूल और अपर्याप्त शेष शामिल हैं;
- (5) उन लेखा शीर्षों, जो सरकारी लेखा के प्रति संवृत नहीं होते, के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती वर्ष के अंत शेषों और लेखाओं के वर्ष के अथ शेष के बीच अन्तरों, यदि कोई हों, के लिए कारण;
- (6) कर्ज़ और कर्ज़ों पर ब्याज की बकाया राशियों की पुष्टि;
- (7) अतिदेय कर्ज़ों और कर्ज़ों पर ब्याज के विवरण;
- (8) लेजर के रूप में रखे गए विस्तृत लेखाओं के अनुसार राशियों और लेखा पुस्तकों और वित्तीय विवरणों के अनुसार तदनुसूली कुल राशियों के बीच अन्तरों, यदि कोई हो, के लिए स्पष्टीकरण और इनका विश्लेषण;
- (9) राशियों (मूल राशियां और वर्ष के अंत में बकाया राशियां) सहित बकाया गारंटियों का विवरण;
- (10) पक्षकारों, जिनकी ओर से गारंटियां जारी की गयीं, से गारंटियों (मूल राशियां और वर्ष के अंत में बकाया राशियों) की राशियों की पुष्टि;
- (11) वर्ष के दौरान इनवोक की गई गारंटियों के विवरण;
- (12) प्राप्त गारंटी फीस की राशि और बकाया राशि;
- (13) समय-समय पर लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक लागत वाले अधूरे कार्यों के विवरण; और
- (14) ‘प्रेषण’ और ‘उचंत’ लेखाशीर्षों के अन्तर्गत बकाया राशियों का वर्षवार विश्लेषण।

42. वित्तीय विवरणों के प्रमाणीकरण के लिए कार्य योजना

लेखापरीक्षा कार्यालय और लेखे तैयार करने और इसके संकलन के लिए उत्तरदायी एजेंसियां वित्तीय विवरणों के प्रमाणीकरण को समय से पूर्ण करने के लिए एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करेंगे और इसके कार्यान्वयन को मानीटर करेंगे।